<u>न्यायालय—अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अंजड जिला बडवानी</u> (समक्ष— 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय्')

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 157/2013 संस्थित दिनांक 05.04.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, ठीकरी, जिला बड़वानी

-अभियोगी

वि रू द्व

अजीम पिता युनुस मेहतर, आयु 21 वर्ष, पेशा—प्रायवेट नौकरी, निवासी—ठीकरी, थाना ठीकरी, जिला बड्वानी

<u> -अभियुक्त</u>

अभियोजन द्वारा एडीपीओ — श्री अकरम मंसूरी अभियुक्त द्वारा अभिभाषक — श्री आर.के.श्रीवास

—: <u>निर्णय</u>:— (आज दिनांक 30—08—2016 को घोषित)

- 01— आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 46/2013 के आधार पर दिनांक 15.03.2013 को सुबह लगभग 4 बजे फरियादी सुभाष के मकान दीनदयाल कॉलोनी, पिपरी में उसके निवास स्थान में चोरी करने के आशय से सूर्यास्त के पश्चात तथा सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रि पृच्छन्न गृह अतिचार कारित करने तथा वहां रखी सम्पत्ति मोबाईल और नकदी 1,000/— रूपये चोरी करने के कारण भादिव की धारा 457, 380 का आरोप है।
- 02— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
- 03— अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.03.2013 की एक रात पहले फिरयादी सुभाष अंगूर की कैरेट उतारने के लिए उसके भाई के साथ बाहर आया था तथा वे घर का दरवाजा बंद छोड़ आए थे, तभी आरोपी फिरयादी के घर के अंदर रात 4 बजे दरवाजे से घूस गया और घर में रखे पेंट में से एक मोबाईल सफेद रंग का चेज़ ज्वेल कम्पनी का कीमत लगभग 1,500/— रूपये और नकदी रूपये 1,000/— चोरी कर ले जाने लगा, तभी वह और उसका भाई आए और आरोपी को पकड़ा, पूछा तो उसने अपना नाम अजीम स्लीपर बताया तथा वह हाथ में मोबाईल और पैसे लिए हुए था, जो वह चुराकर भाग रहा था, तभी प्रेमलाल भी आ गया। आरोपी को चोरी की सम्पत्ति नकदी रूपये 1,000/— और उक्त मोबाईल सहित

थाने पर लाए और उसके विरूद्ध फरियादी सुभाष ने प्रपी—1 की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस थाना ठीकरी में अपराध क्रमांक 46/2013 दर्ज कर आरोपी से उक्त मोबाईल और नकदी रूपये 1,000/— थाने पर ही जप्त किए, आरोपी को गिरफ्तार किया, घटनास्थल का नक्शामोका बनाया, फरियादी और साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए तथा विवेचना पूर्ण अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04— उपरोक्त अनुसार मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा अभियुक्त को भादिव की धारा 457, 380 के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित कर उसकी विशिष्ठियां पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है तथा बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना प्रकट किया।

05- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं कि :--

क्र.	विचारणीय प्रश्न
अ	क्या आरोपी ने घटना दिनांक 15.03.2013 को सुबह लगभग 4 बजे फरियादी के मकान दीनदयाल कॉलोनी, पिपरी में सूर्यास्त के पश्चात व सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से फरियादी के निवास स्थान पर दरवाजे से घूसकर प्रवेश कर, रात्रि पृच्छन्न गृह अतिचार कारित किया ?
ब	क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी की सहमति के बिना एक सफेद रंग का मोबाईल चेज़ ज्वेल कम्पनी का और नकदी रूपये 1,000/— सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से, हटाकर, चोरी कारित की ?

विचारणीय प्रश्नों पर सकारण निष्कर्ष —

- 06— प्रकरण में साक्ष्य के दोहराव को रोकने तथा दोनों ही विचारणीय प्रश्न एक—दूसरे से संबंधित होने से, सुविधा की दृष्टि से इनका एकसाथ निराकरण किया जा रहा है।
- 07— उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन साक्षी फरियादी सुभाष वर्मा (अ.सा.—1) का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। घटना लगभग 3 वर्ष पूर्व की सुबह 4 से 5 बजे की है, उस दिन वह और उसका भाई रवि घर का दरवाजा बंद कर अंगूर के कैरेट उतारने के लिए गए थे, जब वे दोनों वापस आए तो पेंट के अंदर रखा हुआ मोबाईल और जेब में रखे हुए 500/— रूपये कोई अज्ञात व्यक्ति घर के अंदर से ले गया था। उक्त घटना की रिपोर्ट प्रपी—1 की उसने थाना ठीकरी पर की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिस को घटनास्थल बताया था, जो प्रपी—2 का है। उसके समक्ष पुलिस ने थाने पर आरोपी के कब्जे से कोई भी वस्तु जप्त नहीं की थी, लेकिन साक्षी ने आगे

बताया कि जप्ती पंचनामा प्रपी—3 व गिरफ्तारी पंचनामा प्रपी—4 पर उसने हस्ताक्षर किए हैं। इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इन्कार किया है कि जब वह और उसका भाई घर की ओर जा रहे थे, तब उपस्थित आरोपी उसके घर के अंदर से उसका मोबाईल और पेंट में रखे 1,000/— रूपये लेकर जाने लगा था, तो उन्होंने उसे पकड़ लिया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि जिस व्यक्ति को पकड़ा था वह उपस्थित आरोपी ही है और उसने उसका नाम अजीम स्वीपर बताया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि फिर उसे थाने पर लाकर चोरी के माल सहित पेश किया था और पुलिस ने आरोपी से उसके समक्ष उक्त मोबाईल व नकदी प्रपी—3 के अनुसार किए थे। साक्षी ने आगे यह अवश्य स्वीकार किया है कि उसने आरोपी से राजीनामा कर लिया है, लेकिन इस सुझाव से इन्कार किया है कि राजीनामा कर लेने के कारण वह आरोपी को बचाने के लिए सही बात नहीं बता रहा है।

- 08— बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी से किए गए प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने आरोपी को घर के अंदर से चोरी का माल लाते हुए नहीं देखा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जब वह वहां पहुंचे तो कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी करके वहां से जा चुका था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि वह तथा अन्य व्यक्ति आरोपी को पकड़कर चोरी के माल सिहत थाने पर नहीं लाए थे। साक्षी ने आगे स्पष्ट किया कि वह पढ़ा—लिखा नहीं है, नाम लिखना जानता है, उससे थाने पर पुलिस ने दो—तीन कागजों पर हस्ताक्षर कराए थे। साक्षी ने आगे यह भी स्वीकार किया कि आरोपी को घर के अंदर से चोरी करते हुए नहीं पकड़ा था।
- 09— इसी प्रकार अभियोजन साक्षी रिव वर्मा (अ.सा.—2) ने भी फरियादी और आरोपी को पहचानने के अतिरिक्त अन्य कोई कथन अभियोजन के समर्थन में नहीं किए हैं। साक्षी का इतना कथन है कि जब वह फरियादी के साथ वापस आया तब कोई अज्ञात व्यक्ति सुभाष के घर से मोबाईल और नकदी रूपये चुराकर ले गया था। उसने आरोपी को फरियादी के घर से चोरी करके ले जाते हुए नहीं देखा। इस साक्षी को भी अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन के समस्त सुझावों से इन्कार किया है। बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने और सुभाष ने आरोपी को नहीं पकड़ा था और आरोपी को मोबाईल व पैसे चुराते ले जाते हुए नहीं देखा था।
- 10— अभियोजन साक्षी महावीरसिंह चंदेल (अ.सा.—3) ने दिनांक 15.03.2013 को थाना ठीकरी पर फरियादी सुभाष द्वारा आरोपी को लाने पर आरोपी के विरूद्ध मोबाईल और नकदी रूपये 1,000/— चोरी करने के संबंध में थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी—1 लिखाने के संबंध में कथन किए हैं और उसके बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। साक्षी का यह भी कथन है कि

उसने आरोपी के कब्जे से एक सफेद रंग का चेज़ ज्वेल कम्पनी का मोबाईल तथा 100—100/— रूपये के 10 नोट, कुल 1,000/— रूपये नकदी प्रपी—3 के अनुसार जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया था तथा फरियादी की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शामौका प्रपी—2 का बनाया, फरियादी व साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए।

- 11— बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि फरियादी ने आरोपी के विरुद्ध कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि फरियादी ने आरोपी को थाने पर माल सिहत पेश नहीं किया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि फरियादी ने अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चोरी करने की रिपोर्ट लिखाई थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि फरियादी और साक्षी ने आरोपी का नाम उसे नहीं बताया अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।
- 12— ऐसी स्थिति में जबिक, स्वयं फरियादी ने आरोपी को उसके घर से चोरी करने के संबंध में स्पष्ट इन्कार किया है तथा इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसके द्वारा आरोपी को चोरी गए सामान सिहत थाना ठीकरी पर पेश कर प्रपी—1 की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, यहां तक कि, आरोपी के आधिपत्य से उसके समक्ष उक्त सम्पत्ति मोबाईल चेज़ ज्वेल कम्पनी का तथा नकदी रूपये 1,000/—भी जप्त होने से इन्कार किया है, तो ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने घटना दिनांक 15.03.2013 को सुबह लगभग 4 बजे फरियादी के मकान दीनदयाल कॉलोनी, पिपरी में सूर्यास्त के पश्चात व सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से फरियादी के निवास स्थान पर दरवाजे से घूसकर प्रवेश कर, रात्रि पृच्छन्न गृह अतिचार कारित किया तथा फरियादी की सहमित के बिना एक सफेद रंग का मोबाईल चेज़ ज्वेल कम्पनी का, कीमत लगभग 1,500/— रूपये और नकदी रूपये 1,000/— सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से, हटाकर, चोरी कारित की।
- 13— चूंकि, उपरोक्त समस्त साक्ष्य विवेचन से अभियोजन संदेह से परे अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है, फलतः अभियुक्त अजीम पिता युनुस मेहतर, आयु 21 वर्ष, निवासी ठीकरी, थाना ठीकरी, जिला बड़वानी को संदेह का लाभ प्रदान कर भादिव की धारा 457, 380 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 14— अभियुक्त के जमानत—मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं तथा अभियुक्त की निरोध अवधि के संबंध में दंप्रसं. की धारा 428 के तहत प्रमाण पत्र जारी किया जावे।
- 15— प्रकरण में जप्तशुदा मशरूका एक मोबाईल चेज़ ज्वेल कम्पनी का सफेद रंग का तथा नकदी रूपये 1,000/— सुपुर्ददार/फरियादी के पास अंतरिम सुपुर्दनामे पर है, जो बाद अपील अवधि अपील ना होने पर स्वतः उसी के पक्ष में निरस्त समझा जावे, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

- 5 - <u>आप.प्रक.कमांक 157/2013</u>

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

सही / – (श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र. सही / – (श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.

_Steno/S.Jain